उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-8/2023/भा0स0-2/एक-1-2023-1-1099/63/2023

लखनऊः दिनॉकः 23 मई, 2023

अधिसूचना

चूंकि ग्राम मनगढ़ का नाम परिवर्तित करके कृपालु धाम मनगढ़ किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-1859/सात-स0भू0अ0-2021, दिनांक-18.11.2021, द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के पत्र संख्या-371/नौ-51-2019, दिनांक-01.12.2021 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-2259/9-104/2019 दिनांक-28.12.2021 द्वारा संस्तुत किया गया है। भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है।

2. और चूंकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/10/2022- एम एण्ड जी, दिनांक-01.03.2023 द्वारा जिला-प्रतापगढ़ के तहसील-कुण्डा के ग्राम मनगढ़ का नाम ''कृपालु धाम मनगढ़'' परिवर्तित किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है।

3. अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक दिनांक-11-09-1953 एवं पत्र संख्या-11/10/2022-एम एण्ड जी, दिनांक-01.03.2023 के निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त ग्राम "मनगढ़" का नाम परिवर्तन करती हैं।

4. राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो उक्त ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
मनगढ़	कृपालु धाम मनगढ़

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।